

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 106/16

निर्णय दिनांक: १-11-12

1. मदनगोपाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी कुचौर आथूणी तहसील नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 23-03-2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियाँ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 23-03-2002 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व से ही आवंटनशुदा रकबा भूमिहीन में आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 3 आरएसएम के मुरब्बा नम्बर 32/11 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि का आवंटन किया जाकर आवंटन पट्टा जारी किया गया। अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि थी। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जाँच की जानी चाहिए थी उक्त आराजी जैर आवंटन दिनांक को शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत ने इस तथ्य की जाँच किये बिना अपीलांट को आवंटनशुदा रकबे का आवंटन किया गया है। इसमें अपीलांट की कोई गलती नहीं है।


अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश हैं कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की आवंटन पत्रावली में कोई आदेश पारित किये बिना अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटन कर दी गई है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23-03-2002 के विरुद्ध अपील दिनांक 04-11-16 को पेश की है। जोकि करीब 14 वर्ष विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित है, इस बाबत् कोई साक्ष्य ना तो अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया ना ही अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत है जिसे साबित हो कि अपीलांट को आवंटित भूमि अन्य को आवंटनशुदा है। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23-03-2002 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 04-11-2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियाद घोषित की जाती है।
- (2) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर चक 3 आर.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 32/11 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि का आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया। अपीलांट को आवंटित भूमि का पट्टा भी जारी कर दिया गया, किन्तु अपीलांट के आवंटन का रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया ना ही कब्जा प्रदान किया गया।

- (3) जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट को सामान्य की पात्रता मानते हुए आराजी जैर का आवंटन किया गया। अपीलांट का अपील मीमो के पैरा संख्या 2 में कथन किया गया है कि उक्त आराजी अन्य को आवंटनशुदा है। जबकि पत्रावली में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी 2070-73 के अवलोकन से विदित है कि आराजी जैर आज दिनांक को आराजीराज है।
- (4) पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन अन्य को आवंटनशुदा नहीं है ना पत्रावली में अपीलांट के आवंटन का खारिजी आदेश का अंकन है। वर्तमान में भूमि आराजीराज दर्ज है। जो अपीलांट के कथन कि आराजी जैर अन्य को आवंटनशुदा है से भिन्न व विरोधाभासी कथन है।
- (5) चूंकि अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक बहाल है व वर्तमान में आराजी जैर आराजीराज दर्ज शुदा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आवंटन बहाल उपधारित किया जाना चाहिए।
- (6) अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय/आवंटन अधिकारी के समक्ष आवंटन बहाल करने की चाराजोई करें।
7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 23-03-2002 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 9-11-12 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर